न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **44/2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
रामुराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी गोरछिया बेरा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1– भंवरलाल पुत्र सुगनाराम 2– भगवानाराम पुत्र सुगनाराम दोनो जाति सुथार निवासी आऊ तहसील फलोदी जिला जोधपुर 3– नरपत राम पुत्र चुनाराम 4– चिमनराम पुत्र आसूराम जातियान जाट निवासी गोरछिया बेरा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर 5– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–2016 उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 474/2016 अनवान भंवरलाल बनाम नरपतराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गिरधर सिह भाटी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 1 से 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 08.08.2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टस के खातेदारी खेत ग्राम गोरछिया का बेरा पटवार मण्डल आऊ के खसरा नंबरान 225 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा नंबर 225/1 रकबा 16 बीघा 03 बिस्वा की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर पत्रावली को नियत तिथि से पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–11–2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि आदेशिका दिनांक 26–10–2016 अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का वकालातनामा पेश होना बतया तथा अन्य के सम्मन तामिल या अदम तामिल नही लोटना लिखा गया है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 5–12–2016 को रखी गई थी परंतु एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व की दिनांक

जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त ग्राम के अन्य खसरान के पैमाईश दिनांक 15–10–2016 से 19–10–2016 तक ग्राम गोरछिया के बेरा मे किये गये माप मे कायम बिन्दुओ से पैमाईश कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया है जबकि खसरान अपीलांट के खसरान से काफी दूरी पर स्थित है तथा उक्त पैमाईश भी विवादित है इसलिए विवादित पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करने का आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि दिनांक 15–10–2016 से 19–10–2016 तक ग्राम गोरछिया के बेरा मे किये गये सीमांकन एवं पत्थरगढी को जिला कलेक्टर भू अभिलेख जोधपुर ने दिनांक 30–12–2016 को निरस्त कर दिया है इसलिए उक्त पैमाईश के आधार पर किये गये सीमांकन एवं पत्थरगढी के संबंध मे पारित आदेश भी निरस्त योग्य है। अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–11–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि ग्राम गोरछिया बेरा की भूमि की पत्थरगढी भू प्रबंध विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा दिनांक 15–10–2016 से 19–10–2016 तक ग्राम गोरछिया का बेरा मे की गई पैमाईश के आधार पर पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी का आदेश पारित किया है चूँकि जिला कलेक्टर भू अभिलेख जोधपुर ने दिनांक 15–10–2016 से 19–10–2016 तक ग्राम गोरछिया के बेरा मे किये गये सीमांकन एवं पत्थरगढी को दिनांक 30–12–2016 से निरस्त कर दिया है तो उसके आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होगा ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया हैं। ऐसे में हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रकरण में तहसीलदार आउ को निम्नानुसार निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी फलौदी के दिनांक 12.11.2016 को पारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए तहसीलदार आउ को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं की उपस्थिति में एक टीम गठित कर भू–प्रबन्ध विभाग का सहयोग लेते हुए दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही करें। निर्णय आज दिनांक 08–08–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।